सात से 30 दिन में होगा निवेशकों को भूमि आवंटन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन- 2023 में निवेश करार करने वाले निवेशकों को यूनिट स्थापित करने के लिए 7 से 30 दिन में भूमि आवंटन किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग ने निवेशकों को भूमि आवंटन का समयबद्ध फ्रेमवर्क तैयार किया है।

निवेशक को भूमि आवंटन के लिए निवेश सारथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इन्वेस्ट यूपी की ओर से संबंधित जिलाधिकारी को निवेशक को भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद डीएम की ओर से संबंधित

जमीन आवंटन के आवेदनों की होगी साप्ताहिक समीक्षा

औद्योगिक विकास प्राधिकरण या महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को जमीन आवंटन की संस्तुति की जाएगी। औद्योगिक विकास प्राधिकरण या महाप्रबंधक जमीन आवंटन की कार्यवाही करेगा। जमीन उपलब्ध नहीं होने पर वह पुनः जिलाधिकारी को सूचित करेंगे। तब जिलाधिकारी की ओर से निवेशक को किसी अन्य जिले में जमीन आवंटन कराने आग्रह करते हुए मंडल आयुक्त को पत्र लिखा जाएगा।

उधर, विभाग की ओर से पोर्टल पर जमीन आवंटन के आवेदनों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। निर्धारित अवधि में निवेशक को जमीन आवंटित नहीं होने या मामले का निस्तारण नहीं होने पर जवाबदेही तय करने की तैयारी है। वहीं, विभाग ने निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार किया है।

निवेशक को अपनी निवेश संबंधी समस्या निवेश सारथी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। समस्या समाधान के लिए उद्यमी मित्र को सौंपी जाएगी। उद्यमी मित्र जिला, मंडल और राज्यस्तरीय स्तरीय उद्योग बंधु से लेकर मुख्य सचिव के स्तर तक समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। पोर्टल पर इसकी प्रतिदिन निगरानी की जाएगी।